कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 12.01.2025

विषयः- प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा के साथ थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर के नेतृत्व में दिनांक 12/01/2025 को थाना भेलूपुर पुलिस टीम को मुखबिर खास सूचना मिली कि बजरडीहा बाजार में एक व्यक्ति दुकान में अवैध चायनीज माँझा रखकर बेच रहा है व आज भी अपनी दुकान में सफेद बोरे में चायनीज मांझा रखा हुआ है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अभियुक्त जहांगीर खान पुत्र स्व0 अतहर खान निवासी ग्राम ककरमत्ता साउथ थाना मडुआडीह जनपद वाराणसी उम्र करीब 50 वर्ष के पास से 21.5 कि0ग्रा0 प्रतिबन्धित अवैध चाइनीज मांझा बरामद कर हिरासत पुलिस लेकर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0014/2025 धारा 293/125/223 बी0एन0एस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक 12/01/2025 बजरडीहा बाजार थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

अभियुक्त का विवरण – जहांगीर खान पुत्र स्व0 अतहर खान निवासी ग्राम ककरमत्ता साउथ थाना मडुआडीह जनपद वाराणसी उम्र करीब 50 वर्ष।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण- अभियुक्त जहांगीर खान पुत्र स्व0 अतहर खान उपरोक्त पूछने पर बता रहा है कि मैं पतंग की दुकान लगाता हूँ। उसी दुकान की आड़ में मैं चाइनीज मंझा बेचता हूं।

बरामदगी का विवरण- अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा वजन 21.5 कि0ग्रा0 बरामद हुआ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विजय नारायण मिश्र थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री विकल शांडिल्य चौकी प्रभारी बजरडीहा थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 संदीप सिंह थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. का0 अशोक मौर्या थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।